न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 66/11 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सांवतराम पुत्र बिहारी लाल जाति गूजर निवासी मांची तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
2. ताराचन्द पुत्र बिहारी लाल जाति गूजर निवासी मांची तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
3. जगदीश पुत्र बिहारी लाल जाति गूजर निवासी मांची तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
4. बिशम्भर पुत्र बिहारी लाल जाति गूजर निवासी मांची तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
5. मु0 मनोहरी बेवाह बिहारी लाल जाति गूजर निवासी मांची तह0 बानूसर जिला अलवर राजस्थान

:––––– प्रार्थीगण अपीलांटस

बनाम

1. दीना राम पुत्र नन्दाराम जाति गूजर निवासी मांची
2. नाथा राम पुत्र नन्दाराम जाति गूजर निवासी मांची

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3. जयराम पुत्र नन्दाराम जाति गूजर निवासी मांची
4. घीसाराम पुत्र नन्दाराम जाति5 गूजर निवासी मांची
5. दाताराम पुत्र नन्दाराम जाति गूजर निवासी मांची
6. रामनिवास पुत्र छीतर जाति गूजर निवासी मांची
7. दुर्गा पत्नी दीना जाति गूजर निवासी मांची
8. सरबती पत्नी नाथा जाति गूजर निवासी मांची
9. मिश्रा पत्नी दाताराम जाति गूजर निवासी मांची तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:----- अप्रार्थीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बानसूर

दिनांक 2.5.2011

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

निर्णय दिनांक 28.4.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा प्रा0 पत्र संख्या 153/2007 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 2.5.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण वादीगण का उक्त प्रा0 पत्र खारिज किया गया है ।

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
उप अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र के साथ प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.01 हे, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.01 हे0, 837 रकबा 3.47 हे, जिसके साबिक खसरा नम्बर 710 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मांची तहसील बानसूर है, में वादीगण संख्या 01 ला0 04 का 1/16 भाग, वादी संख्या 5 का 13/240 भाग व शेष में प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 27 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । विवादित आराजी में वादी संख्या 5 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के 1/24 भाग सरती बेवाह घीडा व हरिराम से खरीद किया था और वक्त खरीद से आज दिन तक वादीगण अपने खरीदशुदा हिस्से पर काबिज है । परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण प्रार्थीगण की आराजी में मजाहमत करते रहते हैं । शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा है । अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रा0 पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि हम विवादित भूमि के सह खातेदार काश्तकार हैं । अप्रार्थीगण रेस्पो0 विवादित आराजी का बंटवारा कराये बिना निर्माण कार्य करने पर उतारू है । अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमको नापूर्तिजनक क्षति होगी । अगर किसी पक्ष द्वारा आराजी का दुव्यर्यनकरने, उसे नुकसान पहुंचाने की आशंका हो तो एक रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत विवेचना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 एल0 डब्ल्यू0 2010 (1) राज0 पेज 38 एवं आर0 आर0 टी0 2015 (2) पेज 985 पेश की ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि के सभी पक्षकार सह खातेदार है । कानूनन एक सह खातेदार के पक्ष में दूसरे सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर हमारे मकानात बने हुये हैं । उक्त आबादी को छोडकर बंटवारा नहीं किया था, बल्कि सम्पूर्ण आराजी का मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी सम्वत 2020 में बंटवारा कर लिया था । सभी अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । किसी प्रकार की कोई मजाहमत नहीं की जा रही है । प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है । धारा 212 के तीनों बिन्दू इनके पक्ष में कतई साबित नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2004 आर0 आर0 डी0 पेज 65 तथा 2006 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1410 पेश की ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वकील अप्रार्थी की सुनवाई अनुसार हमने अधिनस्थ न्यायालय के नजरी नक्शा का अवलोकन किया । यदि प्रार्थी अपीलांट उसे गलत मानते है तो जवाब उल जवाब में प्रस्तुत करते, किन्तु वहां प्रस्तुत न करके अधिनस्थ न्यायालय से स्थगन ले लिया था । चूंकि वाद वर्ष 2011 से लम्बित है । बंटवारे का वाद है । दोनों पक्षों के मध्य ही निर्णित किया जाना है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है । रिकार्डेड खातेदार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित नहीं है । अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.5.2011 यथावत रखा जाता है । साथ ही तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि विभाजन का वाद शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किया जावे ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner